न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 314 / 2018

आरसीएमएस नं. 2018 / 00431

लिलाधार पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन ढीलकी जाटान रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

--अपीलांट

बनाम

1. सरोज पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राधाकृष्ण पुत्र हरीसिंह
3. दयाराम पुत्र जीवन सिंह
4. नारायणी पत्नी सहीराम
5. राजेन्द्र पुत्र सहीराम
6. सुरती देवी पत्नी ख्यालीराम
7. राजकोरी पुत्री ख्यालीराम
8. बौी उर्फ विमला ख्यालीराम
9. सुनिता ख्यालीराम
10. कमला उर्फ समेस्ता ख्यालीराम

(क्रमांक 2 से 10:) जाति जाट साकिन ढीलकी जाटान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

-- रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 22.05.2018

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्र0 सं0 458 / 2017 अनवान सरोज बनाम राधाकृष्ण

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

(मुहर: राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.))

श्री हवासिंह पूनिया अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विजयसिंह कड़वासरा अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 20.X.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। जिसमें आराजी जरई खाता संख्या 20/18 खसरा नम्बर 39 की 2.9090 है0 व खसरा नं नं. 54 की 3.7959 है0 कुल 6.7040 है0 भूमि वाके रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर में वादीया का खाता व लगान मुताबिक कब्जा अलग से तकसीम करने एवं खाता व लगान अलग कायम करने एवं कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि विवादति भूमि में रेस्पोडेण्ट का कोई हक हिस्सा नहीं है। इनका विवादित भूमि पर कभी भी रूकमा, गुड्डी, विमला पुत्रीयान कुम्भाराम जाति सुनार साकिन ढीजकी जाटान का कब्जा काश्त नही रहा है। विवादित भूमि का राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण जैरकार है अब बिना प्रतिफल दिये वादिया रेस्पो0 नं0 1 यानि भू माफिया लोगों ने अपने पक्ष में बैयनामा करवाया है जिसके आधार पर वादिया किसी भी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि उसकी खरीद शुदा है एवं खरीद की दिनांक से इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया तथा वादिया उपरोक्त मुश्तरका खाता में से 122 हिस्सा यानि 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि खाला के नीचे की भूमि कब्जा काश्त में है। वादिया अपने 122 हिस्सा भूमि जो खाला के पास स्थित का खाता व लगान प्रतिवादीगण से अलग तकसीम करवाकर अलग खाता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कराने की अधिकारी है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में खाता संख्या 20/18 खसरा नम्बर 39 की 2.9090 है0 व खसरा नं नं. 54 की 3.7959 है0 कुल 6.7040 है0 भूमि वाके रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर में रेस्पोडेण्ट ने अपना खाता अलग कायम करने का वाद पेश किया था। इस संबंध में पूर्व में भी एक वाद पेश हुआ था जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। इसकी पुष्टि अपील में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील सं0 2840/2016 राजेन्द्र बनाम कमला आदि से होती है। ऐसी स्थिति में उसी भूमि के संबंध में रेस्पोडेण्ट द्वारा वाद पेश कर पुनः प्राथमिक डिक्री प्राप्त की गई है जो विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोडेण्ट को माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील में चाराजोही करनी चाहिए। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.05.2018 निरस्त किये जाते हैं। उभयपक्ष माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.X.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/X/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियाँ आर0ए0एस0

अपील संख्या 314 / 2018

आरसीएमएस नं. 2018 / 00431

लिलाधार पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन ढीलकी जाटान रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––अपीलांट

बनाम

1. सरोज पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राधाकृष्ण पुत्र हरीसिंह
3. दयाराम पुत्र जीवन सिंह
4. नारायणी पत्नी सहीराम
5. राजेन्द्र पुत्र सहीराम
6. सुरती देवी पत्नी ख्यालीराम
7. राजकोरी पुत्री ख्यालीराम
8. बीो उर्फ विमला ख्यालीराम
9. सुनिता ख्यालीराम
10. कमला उर्फ समेस्ता ख्यालीराम

(2 से 10) जाति जाट साकिन ढीलकी जाटान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 22.05.2018

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्र0 सं0 458 / 2017 अनवान सरोज बनाम राधाकृष्ण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री हवासिंह पूनिया अभिभाषक अपीलार्थी, श्री विजयसिंह कड़वासरा अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की ओर से बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.05.2018 निरस्त किये जाते हैं। उभयपक्ष माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 20.X.22 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

20/X/22

(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़